न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 08/2020 **RCMS 2020/00016**

वादीगण

1. डॉ. शरत मदान पुत्र दीनानाथ मदान जाति मदान उम्र 73 वर्ष निवासी पलटन गेट, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि .भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री अशोपुरा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनॉक :– 06/03/2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 101 रकबा 143 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवस्थित थी जिसमें मकबूजा खुद की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवस्थित थी जो खतौनी सम्वत 2026–2029 तक अवस्थित रही, बाद में सम्वत 2030–2033 की खतौनी में खसरा नम्बर 101 का रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा घटाकर 137 बीघा कर दिया गया जो खतौनी सम्वत 2030–2033 के अवलोकन से स्पष्ट है, मकबूजा खुद का रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा राजा प्रतापसिंह के खाता संख्या 196 मे अंकित कर दिया गया, इस प्रकार खसरा नम्बर 101 रकबा 137 बीघा में राजा प्रतापसिंह की कोई भी भूमि अवस्थित नही रही, द्वितीय भू–प्रबन्धन के दौरान उक्त गत खसरा नम्बर 101 के नये खसरा नम्बर 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 768, 771, 772, 773, 774, 775, 2501/340, 2502/341, 2538/769, 2535/323, 2638/223, 1659/336 कायम किये गये, कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 311, 317, 322, 337, 341, 771, 772, 774, 775, 2538/759, 2638/323 कुल किता 11 कुल रकबा 13.02 हैक्टर में से जरिये पंजीकृत बेचान दिनॉक 8.12.1994 को तत्कालीन खातेदार गनी मोहम्मद, मजीद, सुलेमान पुत्रान रज्जाक अली से 1.43 हैक्टर भूमि खरीद की एवं कब्जा प्राप्त किया, प्रार्थी की कब्जा काश्त उक्त खसरों में खसरा नम्बर 322 में पूर्वी तरफ है, प्रार्थी की उक्त खातेदारीसुदा कब्जा शुदा भूमि के चारों तरफ चारदीवारी बनवाई तथा कुऑ बनवाया तत्पश्चात प्रार्थी को अपने कुएँ पर विद्युत कनेक्शन लेने के [illegible] 11.2.1995 को तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा बनाई गई एवं इस रिपोर्ट के [illegible] प्रार्थी ने कुएँ पर विद्युत कनेक्शन स्थापित किया गया था, मौका नाप [illegible] कब्जे की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, माननीर ए.डी.एम. साहब [illegible] 19.04.2002 की पालना में अप्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण सं. 1463 भरा गया जिसमें खसरा नम्बर 322 रकबा 5.02 हैक्टर में से 1.30 हैक्टर भूमि जो कभी भी राजा प्रतापसिंह खोले हरिसिंह के नाम अवस्थित नही रही सिवाय चक दर्ज कर दी गई एवं खसरा नम्बर 322 का रकबा घटाकर 3.72 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी

गया, अप्रार्थी द्वारा बिना मौके की जांच किये ही शुद्वि पत्र संख्या 6 दिनॉक 31.5.2005 के द्वारा नामान्तरकरण सं. 1463 में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर खसरा नम्बर 322 में से जो रकबा 1.30 हैक्टर निकाला गया था उसको नया नम्बर 2803/322 दर्ज कर दिया गया जो बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना मौके की जांच किये किया गया है, यह खसरा नम्बर केवल कागजी बनाया गया इसको राजस्व नक्शे में कही पर भी तरमीम नही किया गया, राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत सभी तहसीलों के राजस्व रिकार्डो को ऑन–लाईन करना था एवं सभी खतौनियों में सेग्रिगेशन किया गया, इस योजना के तहत कस्बा कुचामनसिटी के राजस्व रिकार्ड को ऑन–लाईन किया गय एवं खतौनियों में सेग्रिगेशन किया गया, सेग्रिगेशन की कार्यवाही में अप्रार्थी ने मौके की जोंच किये बिना ही खसरा नम्बर 322 में पूर्वी तरफ 2803/322 राजस्व नक्शें में तरमीम कर दिया जबकि वास्तम में खसरा नम्बर 322 में पूर्वी तरफ प्रार्थी की कब्जा काश्त थी और आज भी है, खसरा नम्बर 322 में 2803/322 तरमीम किये जाने से प्रार्थी अपने हक अधिकार की भूमि से वंचित हो जायेगा इसलिए राजस्व नक्शें में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है, यह केवल मात्र एक लिपिकिय त्रुटि है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 322 में अप्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शे में की गई उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 322 रकबा 5.02 हैक्टर किया जावे एवं खसरा नम्बर 322 के पूर्वी तरफ तरमीम खसरा नम्बर 2803/322 रकबा 1.30 हैक्टर हटाई जाकर भूमि रकबा 1.30 हैक्टर इस खसरे के संस्पर्श सर्वे खसरा नम्बर 775 में तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2026–2029 के अनुसार यह तथ्य स्वीकार है कि गत खसरा नम्बर 101 रकबा 143 बीघा 10 बिस्वा दर्ज थी जिसमें अन्य सहखातेदारों के साथ 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि "मकबूजा खुद" प्रविष्टी दर्ज थी, सम्वत 2030–2033 की जमाबन्दी में उक्त "मकबूजा खुद" रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा को खाता संख्या 196 में प्रतापसिंह खोले हरीसिंह राजा साहब कौम राजपूत सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 101 मिन दर्ज कर दिया गया, यह कथन अस्वीकार है कि खसरा नम्बर 101 में राजा प्रतापसिंह की कोई भी भूमि नही रही क्योंकि खसरा नम्बर 101 मिन रकाब 6 बीघा 10 बिस्वा राजा प्रतापसिंह के नाम दर्ज की गई वह भूमि मूल खसरा नम्बर 101 का ही भाग थी, इसके अलावा गत खसरा नम्बर 101 के नये खसरा नम्बर 310 से 326, 355 से 344 तथा 371 से 375 एवं 2501/340, 2538/769, 2635/323, 2659/336 भी बने, मद सं. 2 में वर्णित खसरा नम्बर 327, 328, 329 व 1659/336 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 101 का भाग नही रहे है, इनके अलावा अन्य गत खसरा नम्बर 101 के नम्बर नये खसरा नम्बर 310 से 326 एवं 335 से 344 तथा 371 से 375 एवं 2501/340, 3538/769, 2638/223, 2659/336 101 के भाग रहे अतः प्रार्थी का कथन अस्वीकार है, विक्रय पत्र दिनॉक 8.12.1994 के द्वारा गनी मोहम्मद, मजीद,सुलेमान पुत्र रजाक अली विक्रेता शरत मदान पुत्र दीनाथान [illegible] 317, 322, 337, 341, 771, 772, 774, 775, 2538/769, 2638/723 में से विक्रेता [illegible] सहखातेदारान के साथ अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि में से [illegible] विक्रय पत्र में उल्लेखित 2638/323 गत खसरा नम्बर 101 [illegible] की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल में उल्लेखित है, मिलान क्षेत्रफल नकल में [illegible]/223 उल्लेखित है, माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर नागौर के सिलिंग प्रकरण सं. 47/87 सरकार बनाम प्रतापसिंह के निर्णय दिनॉक 19.4.2002 में निर्धारित प्रतापसिंह द्वारा गत खसरा नम्बर 101 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा को निर्धारित तिथि को धारति मानते हुये बाद विवेचन अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं. 1463 विधिवत भरा जाकर स्वीकृत हुआ है क्यांकि प्रतापसिंह द्वारा धारित गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरा नम्बर 101 मिन के नये खसरा नम्बर 310 से 326, 335 से 344, 371 से 375 एवं 2501/340, 2538/769, 2635/323, 2638/223, 2659/336 (मिलान क्षेत्रफल के अनुसार) बने है, खसरा नम्बर 322 जिसका गत खसरा नम्बर 101 मिन था का कुल रकबा 5.02 हैक्टर था एवं इसमें से 1.30 हैक्टर जो राजा प्रतापसिंह द्वारा धारित थी, उसी 1.30 हैक्टर भूमि को सिलिंग में अधिकृत किया गया है तदनुसार विधिवत 1.30 हैक्टर को पृथक से तरमीम कर सिलिंग से सिवाय चक दर्ज की गई है, कार्य विधिक प्रक्रिया अनुरूप राज्य सरकार की योजना अनुरूप कार्य सम्पादित किया गया है, अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

दसतावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल की नकल, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027 की नकल, जमाबंदी नकल सम्वत 2026–2029, 2030–2033, 2033–2036, 2050–2053, बेचान दस्तावेज संख्या 816/94 दिनॉक 8.12.1994 की नकल, मौका जांच रिपोर्ट दिनॉक 11.02.1995 की छाया प्रति, विद्युत विभाग की रसीद सं. 69 दि. 15.1.1996 की छाया प्रति, विद्युत विभाग के मांग–पत्र दिनॉक 5.1.1996 की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस नकल दिनॉक 26.2.13 की छाया प्रति, नामान्तरकरण सं. 1463 की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस नकल 6.12.2019 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया है, तथा अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027 कुचामनसिटी खसरा नम्बर 101 रकबा 143 बीघा 11 बिस्वा में मुस्तफा वल्द नथू 19 बीघा गफूर वल्गा मूला 10 बीघा कमरूदीन वल्द अकबर 17 बीघा अजीम वल्द कादर 13 बीघा कौम लुहार गोपी वल्द बिरदा 22 बीघा बिरदा वल्द रूगनाथ 10 बीघा नायक रामू वल्द खेता 14 बीघा बलाई रामू वल्द नानू 11 बीघा ब्राहम्ण नन्दा वल्द तुलछा 20 बीघा खटीक मकबूजा खुद 6 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है, जमाबंदी नकल सम्वत 2030–2033 अनुसार कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 101 रकबा 143 बीघा 11 बिस्वा में उक्त अनुसार इन्द्राज है, सम्वत 2030–2033 में खसरा नम्बर 101 रकबा 137 बीघा में अन्य खातेदार का नाम दर्ज है तथा मकबूजा खुद दर्ज नही है, नकल खतौनी सम्वत 2050–2053 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 311, 317, 322, 337, 341, 771, 772, 774, 775 2538/739, 2638/323 कुल रकबा 13.02 हैक्टर में खातेदारान का नाम दर्ज चला आ रहा है, नामान्तरकरण सं. 331 के अनुसार गनी मोहम्मद, मजीद सलेमान पि. रजाक ने सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करने पर खातेदारी डॉ. शरत मदान पुत्र दीनानाथ मदान सा. देह खातेदार दर्ज हुआ, बेचान दस्तावेज अनुसार गनी मोहम्मद मजीद सलेमान पुत्र रजाक अली कौम शाह मुसलमान कुचामनसिटी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 311, 317, 322, 337, 341, 771, 772, 774, 775 2538/769, 2638/323 कुल रकबा 13.02 हैक्टर में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा डॉ. शरत मदान पुत्र दीनानाथ मदान कुचामनसिटी को बेचान किया गया है जिसमें उपरोक्त भूमि के पाड़ौस अंकित है, पूर्व मे :– जोधाराम नारायण कुमावत, पश्चिम में :– सोकत अली, उत्तर में :– कटाणी रास्ता, दक्षिण में रास्ता। मौका नाप रिपोर्ट दिनॉक 11.2.1995 पटवारी कुचामनसिटी द्वारा तैयार की गई उसमें कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 322 कुल रकबा [illegible] से सह खातेदार श्री शरत मदान पुत्र दीनानाथ मदान के हिस्से की भूमि [illegible] या तथा 178 + 154 = 322 ÷ 2 =166 X 86.5 = 1.43 हैक्टर हिस्सा बनता है, खसरा नम्बर 322 के पूर्वी तरफ कब्जा काश्त होना एवं खसरा नम्बर 321 के पश्चिमी तरफ [illegible] काश्त होना स्पष्ट रूप से बताया है, सिलिंग नामान्तरकरण सं. 1463 अनुसार कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 322 रकबा 5.02 हैक्टर में से 1.30 हैक्टर भूमि सिवाय चक राजस्थान सरकार दर्ज का अंकन है उक्त नामान्तरकरण का नोट जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 में अंकित किया गया है तथा शुद्वी पत्र सं. 6 दिनॉक 31.05.05 के द्वारा खसरा नम्बर 322 के स्थान पर 2803/322 दर्ज किये जाने का अंकन है, वर्तमान जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 में अंकित किया गया है तथा शुद्वी पत्र सं. 6 दिनॉक .31.05.05 के द्वारा खसरा नम्बर 322 के स्थान पर 2803 / 322 दर्ज किये जाने का अंकन है, वर्तमान जमाबन्दी नकल अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर 322 रकबा 3.72 हैक्टर बारानी द्वितीय नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज अंकित है, नक्शा ट्रेस की नकल अनुसार खसरा नम्बर 2803 / 322 खसरा नम्बर 322 के पूर्वी तरफ एवं खसरा नम्बर 321 के पश्चिमी तरफ दर्शाया गया है जबकि पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनॉक 1.12.1995 के बिल्कुल विपरीत है।

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र के कथन किसी भी प्रकार से साबित नही है, तहसीलदार कुचामनसिटी के जवाब के अनुसार राजा प्रतापसिंह की 1.30 हैक्टर भूमि सिलिंग से सिवाय चक होने तक का कथन सही है परन्तु गलत तरमीम किये जाने के कथन किसी भी दृष्टिकोण से साबित नही है। पटवारी हल्का कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट 11.02.1995 अनुसार प्रार्थी का 178 + 154 = 322 ÷2 =166 X 86.5 = 1.43 हैक्टर हिस्सा बनता है तथा खसरा नम्बर 322 के पूर्वी तरफ तथा खसरा नम्बर 321 के पश्चिमी तरफ कब्जा काश्त होना स्पष्ट रूप से बताया है, नक्शा ट्रेस की नकल दिनॉक 26.12.2013 में खसरा नम्बर 322 खाली है, शुद्दि पत्र सं. 6 दिनॉक 31.01.2005 के द्वारा खसरा नम्बर 322 के स्थान पर 2803 / 322 दर्ज किया जाना जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 में नोट अंकित किया हुआ है, वरवक्त उक्त खसरा नम्बर 2803 / 322 की तरमीम तत्कालीन पटवारी हल्का / भू.अ.निरीक्षक / तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर की गई होती तो यह त्रुटि नही होती, इस प्रकार की त्रुटि की जाना अपने आपमें राजस्व कर्मीयो की बदनियती साफ जाहिर होती है, नक्शा ट्रेस नकल पटवारी द्वारा जारी दिनॉक 26.12.2013 में उक्त खसरा नम्बर 2803 / 322 तरमीम नही किया गया है, वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 2803 / 322 को कार्यालय में बैठकर ही अंदाज से ही खसरा नम्बर तरमीम कर दिया गया है, जबकि मौके पर प्रार्थी की खसरा नम्बर 322 में जहॉ पर गलत रूप से खसरा नम्बर 2803 / 322 की तरमीम की गई है वहॉ पर प्रार्थी की भूमि के चारो तरफ चार दिवारी काफी पुरानी बनी हुई है तथा मौके पर विद्युत कनेक्शन लेकर सिंचाई की जाती रही है। प्रार्थी का कब्जा काश्त रिपोर्ट पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनॉक 11.02.1995 मुताबिक है, इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उपलब्ध साक्ष्य इत्यादि से साबित पाया गया।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बर 2803 / 322 जो खसरा नम्बर 322 एवं 321 के मध्य गलत रूप से तरमीम किया गया है उसे हटाये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये जाते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 5.02 हैक्टर में पटवारी हल्का कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट दिनॉक 11.02.1995 के मुताबिक रखा जावे, तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेशित किया जाता है कि वह खसरा नम्बर 2803 / 322 में ली गई भूमि 1.30 हैक्टर की सही [illegible] सही स्थान पर तरमीम की जावे।

आदेश आज दिनॉक 06/03/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:19:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: